फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सुमन देवी II, आर.ए.एस. उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

लाली बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा धारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल आर एक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 पत्थरगढ़ी) मुकदमा न0 12/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08/04/2025 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में बहस सुनी गयी दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे। अप्रार्थीगण की तामिल हेतु जारी रजिस्टर्ड डाक रसीद शामिल पत्रावली है। तामील हेतु जारी डाक रसीद प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किये हुए एक माह से अधिक का समय हो चूका है । अप्रार्थीगण की बार बार आवाज लगवाई गयी । आवाज पर ना तो स्वयं हाजिर आये और ना ही इनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उंपस्थित आये। अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भुमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड राजस्व ग्राम फतेहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 321/212 रकबा 0.37 है0 , खसरा नम्बर 327/58 रकबा 0.23 है0, 328/59 रकबा 0.85 है0 खसरा नम्बर 57 रकबा 0.91 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.36 है0 खातेदारी लाली देवी पुत्री हजारी हिस्सा 1/2 भुमि है। अतः प्रार्थी व पडोसी खातेदारान एवं सह खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया | |

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम फतेहपुरा में स्थित भुमि खसरा नम्बर 321/212 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 327/58 रकबा 0.23 है0, 328/59 रकबा 0.85 है0, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.91 है0, कुल किता 04 कुल रकबा 2.36 है0 की खातेदारी लाली देवी पुत्री हजारी हिस्सा 1/2 भुमि है। प्रार्थी व सहखातेदार व पडौसी खातेदारान को सुचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.04.2024 पत्थरगढी की जावे । तहसीलदार सूरजगढ को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़